

1228

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

आदेश

संख्या- 12/चक0मु0-5-05/2005-500/चक0, पटना दिनांक 21.07.2017

चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन चकबंदी कार्यालय, बक्सर से सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में वृत्ति उन्नयन का लाभ देने हेतु दिनांक 14.06.2017 को आहुत प्रोन्नति-सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम 7 में अंकित तिथि एवं वेतनमान/ग्रेड पे में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

लिपिक							
क्र०	नाम, पदनाम (जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि)	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि/सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० (तिथि एवं विवरण)			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०	तृतीय एम०ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सोना लाल दूबे, सेवानिवृत्त मोहरिर (उच्च वर्गीय लिपिक (01.06.1953/31.05.2013))	चकबंदी कार्यालय, बक्सर	01.06.1979/ 27.07.1992	-	-	01.06.2009 (9300-34800/ 4600)	

- (2) किसी भी समय यह पाया जायेगा कि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी। सेवानिवृत्त कर्मों का जिला लेखा कार्यालय से निर्धारित वेतन का सत्यापन उपरान्त ही भुगतान आदि की कार्रवाई करेंगे।
- (3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

(नवल किशोर)
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-12/चक0मु0-5-05/2005-500/चक0 पटना, दिनांक 21.07.2017
प्रतिलिपि - उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/चकबंदी पदाधिकारी, बक्सर सदर/श्री सोना लाल दूबे,
सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवल किशोर)
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।